

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-।

कार्यालय ज्ञापन/ OFFICE MEMORENDUM

सं. 20-7(1)/2001-राभा

दिनांक : 11.08.2016

विषय : सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन – जांच बिन्दुओं का अनुपालन  
Implementation of the O.L. Policy of the Govt. – Compliance of the Check-Points

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, मुख्यालय में सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर रूप से बढ़ावा देने के लिए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम 12 के अनुपालन में जांच बिन्दुओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के लिए परिषद मुख्यालय के सभी अनुभागों/प्रभागों/एककों के अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निम्नलिखित मदों/प्रावधानों में सुनिश्चित किया जाता है :

(क)	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन : <u>Section 3(3) of the O.L. Act, 1963 – Implementation :</u>		
	अपेक्षा/Expectation	जांच बिन्दु/Check-Points	कार्रवाई/Action to be taken by
1.	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में की गई अपेक्षा के अनुसार सभी सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियां/टिप्पणियां, संविदाएं करार, लाइसेंस, टेंडर के फॉर्म और नोटिस, संकल्प, नियम, रिपोर्टिंग हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किए जाने अनिवार्य (Mandatory) हैं।	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में दिए गए सभी कागजात (General orders, Notifications, Press Communiques/ Releases, Contracts, Agreements, Licenses, Notices and forms of tenders, Resolutions, Rules, Reports etc) पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ जारी किए जा रहे हैं। यदि कार्य की प्रकृति तत्काल स्वरूप की है और हिंदी अनुवाद की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के कागजात केवल अंग्रेजी में जारी करने के लिए संयुक्त सचिव से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।  तत्पश्चात, हिंदी अनुवाद की व्यवस्था कराकर उसे भी जारी करना अनिवार्य है।	इस प्रकार के कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले सभी संबंधित अधिकारी-गण  <b>All Officers signing such documents to ensure that such documents are prepared, executed and issued both in Hindi &amp; in English simultaneously</b>
(ख)	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देना : <u>Communications received in Hindi must be replied to in Hindi :</u>		
	अपेक्षा/Expectation	जांच बिन्दु/Check-Points	कार्रवाई/Action to be taken by
2.	राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में मिले पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देना	कहीं से भी हिंदी में प्राप्त पत्र अथवा हिंदी में हस्ताक्षरित पत्र, आवेदन, अभ्यावेदन पर डाक देखने और मार्क करने के स्तर पर अधिकारी द्वारा ऐसे पत्रों अथवा अभ्यावेदनों पर “पत्र का	इस प्रकार के कागजात मार्क करने वाले/ हस्ताक्षर करने वाले सभी संबंधित अधिकारी-गण

जारी --- 2





जाते हों। इस संबंध में प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग के स्तर पर यह भी जांच बिन्दु बनाया गया है कि वे ऐसे क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफे संबंधित अनुभागों से केवल तभी स्वीकार करें जब उन पर पते हिंदी में लिखे गए हों। ऐसे लिफाफों पर अंग्रेजी में पते लिखे होने की स्थिति में संबंधित अनुभाग को इस टिप्पणी के साथ वापस लौटा दिया जाए कि इन पर पते हिंदी में लिखे जाएं, यदि इस प्रकार के लिफाफे प्राप्ति तथा प्रेषण अनुभाग द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, तो यह कार्रवाई प्राप्ति तथा प्रेषण अनुभाग द्वारा सुनिश्चित की जानी है।

**प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग  
R&I Section**

**(छ) सेवा-पुस्तकाओं/रजिस्टरों में प्रविष्टियां/Entry in Service Books/ Registers :**

	अपेक्षा/Expectation	जांच बिन्दु/Check-Points	कार्रवाई/Action to be taken by
7.	राजभाषा संबंधी अनुदेशों के अनुसार सभी सेवा पुस्तकाओं और रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में करना आवश्यक है।	<p>परिषद के केन्द्रीय कार्यालय प्रशासन (स्थापना अनुभाग-III) में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तकाओं को रखने का कार्य होता है, इसलिए उसके प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वे अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में करें। इसकी जांच प्रविष्टियां करते समय तथा संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करते समय की जाए।</p> <p>जहां तक रजिस्टरों के रखरखाव का संबंध है, परिषद के सभी अधिकारियों के कार्यालयों और अनुभागों/प्रभागों में कार्यरत अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कार्यालयों/प्रभागों/अनुभागों में उपयोग में लाए जा रहे सभी रजिस्टरों के शीर्षक तथा शीर्षनाम द्विभाषी हैं और उनमें प्रविष्टियां केवल हिंदी में की जा रही हैं।</p>	<p>कार्रवाई/Action to be taken by</p> <p>केन्द्रीय कार्यालय प्रशासन (स्थापना अनुभाग-III)</p> <p><b>Central Office Administration (Establishment Section-III)</b></p> <p>सभी अधिकारी-गण/अनुभाग/प्रभाग/एकक Officers/Sections/Divisions/Units</p>

**(ज) सरकारी प्रकाशनों आदि का द्विभाषी रूप में प्रकाशन/Bilingual Publications :**

	अपेक्षा/Expectation	जांच बिन्दु/Check-Points	कार्रवाई/Action to be taken by
8.	कार्यालय द्वारा केवल अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि द्विभाषी रूप में ही प्रकाशन निकाले जाएं। यह भी कि प्रक्रिया संबंधी सभी साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी (डिलॉट) रूप में यथास्थिति मुद्रित और प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है।	<p>इस तरह के प्रकाशनों के लिए उत्तरदायी अधिकारी के स्तर पर यह जांच बिन्दु बनाया गया है, जिसमें इस तरह के प्रकाशनों से पूर्व वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे प्रकाशन हिंदी-अंग्रेजी में एक साथ निकाले गए हैं।</p> <p>राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) में उल्लिखित प्रकाशन डिलॉट फार्म में ही छपे</p>	<p>इस प्रकार के प्रकाशन कराने वाले सभी संबंधित अनुभाग/प्रभाग/एकक तथा अधिकारी-गण All concerned Sections/Divisions/ Units &amp; Officers responsible for such publications.</p>

		और अन्य कोई भी प्रकाशन न तो अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाए और न ही उसके हिंदी रूप में मुद्रण संख्या अंग्रेजी रूप की मुद्रण संख्या से कम हों।	
(झ)	हिंदी टंकण/आशुलिपि कार्य/Hindi Typing/Stenography in Hindi :		
9.	अपेक्षा/Expectation	जांच बिन्दु/Check-Points	कार्रवाई/Action to be taken by
	हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि का ज्ञान रखने वाले लिपिकों/आशुलिपिकों का पूरा उपयोग हिंदी टंकण/आशुलिपि का कार्य करने के लिए किया जाना।	ऐसे कर्मचारी जिन अधिकारियों से सम्बद्ध हैं/अनुभागों में तैनाती है, उन्हें इस बात के लिए जांच बिन्दु बनाया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे कर्मचारियों का पूरा उपयोग हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि का कार्य करने के लिए हो रहा है।	सभी संबंधित अधिकारी—गण All concerned Officers (List enclosed)
(ट)	कम्प्यूटर पर हिंदी कार्य/Work on Computers in Hindi :		
10.	अपेक्षा/Expectation	जांच बिन्दु/Check-Points	कार्रवाई/Action to be taken by
	कम्प्यूटर पर उपलब्ध हिंदी सॉफ्टवेयर की सुविधा का लाभ उठाते हुए हिंदी में कार्य किया जाना।	सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंडिक की सुविधा उपलब्ध है, अतः कम्प्यूटरों का उपयोग करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह अपने कम्प्यूटर पर उपलब्ध हिंदी सॉफ्टवेयर का उपयोग हिंदी में कार्य करने के लिए करें।	कम्प्यूटर का उपयोग करने वाले सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी All concerned Officers /Employees using computers
(ठ)	अखिल भारतीय स्तर के विज्ञापन/Advertisement of All India level :		
11.	अपेक्षा/Expectation	जांच बिन्दु/Check-Points	कार्रवाई/Action to be taken by
	सभी प्रकार के अखिल भारतीय स्तर के विज्ञापन द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में जारी किया जाना अनिवार्य है।	इस प्रकार के विज्ञापन जारी करने वाले सभी अनुभागों/प्रभागों/अधिकारियों को इस हेतु जांच बिन्दु बनाया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के विज्ञापन द्विभाषी रूप में ही जारी किए जा रहे हैं।	All concerned Sections/Divisions /Officers(General Section etc.)

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपेक्षा व आग्रह है कि वे उपर्युक्त जांच बिन्दुओं का कड़ाई से पालन करें।

अनुपमा  
11.8.16

(डॉ. अनुपमा)  
संयुक्त सचिव (प्रशासन)

### प्रतिलिपि :

- परिषद मुख्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारीगण/अनुभाग/प्रभाग/यूनिट
- सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी अधिकारी/कर्मचारीगण/अनुभाग/प्रभाग/यूनिट
- प्रमुख, एचआरडी, इंस्टीट्यूट ऑव होटल मैनेजमेंट के सामने, लाइब्रेरी एवेन्यू, पूर्णा, नई दिल्ली-110 012
- प्रमुख, आरपीपीबीडीडी, सीएसआईआर मुख्यालय

5. प्रमुख, आईपीडी, 14, सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इंस्टीट्यूशन एरिया, इन्सडॉक बिल्डिंग, नई दिल्ली-110067
6. प्रमुख, मिशन डायरेक्ट, सीएसआईआर मुख्यालय
7. प्रमुख, यूएसडी, सीएसआईआर मुख्यालय
8. प्रमुख, आईटी, सीएसआईआर मुख्यालय
9. प्रमुख, आरएबी, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, इंस्टीट्यूट ऑव होटल मैनेजमेंट के सामने,  
लाइब्रेरी एवेन्यू पूसा, नई दिल्ली-110 012
10. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर
11. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर
12. वरिष्ठ उप सचिव (एचआर), सीएसआईआर मुख्यालय
13. वरिष्ठ उप सचिव (पीडी), सीएसआईआर मुख्यालय
14. उप सचिव (केन्द्रीय कार्यालय प्रशासन), सीएसआईआर मुख्यालय
15. वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार (आंतरिक लेखापरीक्षा+ईआरपी) सीएसआईआर मुख्यालय
16. उप वित्त सलाहकार (रिपोर्ट+वित्त) सीएसआईआर मुख्यालय
17. उप वित्त सलाहकार (लेखा+बजट) सीएसआईआर मुख्यालय
18. उप वित्त सलाहकार (रोकड़+पेंशन एवं निधि+लेखापरीक्षा), सीएसआईआर मुख्यालय
19. विधि सलाहकार, सीएसआईआर
20. वरिष्ठ भंडार एवं क्रय नियंत्रक, सीएसआईआर मुख्यालय
21. महानिदेशक कार्यालय
22. संयुक्त सचिव कार्यालय
- ✓23. प्रधान, आईटी से अनुरोध है कृपया इसे सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड कराएं।
24. कार्यालय प्रति